

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (13) आकाशि/नि.स./2010/646

दिनांक-07/04/2017

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2016-17 से निम्नलिखित महाविद्यालय को पूर्व संघालित कला संकाय/विषय में स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है-

क्र. सं.	पत्रा. महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध विषयविद्यालय	विषय/संकाय
1	सर्वोदय महाविद्यालय नया पहाड़िया, तहल बागीचौरा, बांसवाड़ा।	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित- कला स्नातक स्तर पर - हिन्दी सा. अधीन सा. संस्कृत सा. इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल।

- संघालित विषयविद्यालय एवं बीएसईआईओत्ते संबद्धता प्राप्त करने का वादित्य स्वयं संस्था का होगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यूजीसी अर्हताधारी प्राध्यापक एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अरीक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था को समय-2 पर यूजीसी/राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
- संस्था को स्थायी मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनको विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहृतित (Withdraw) किया जा सकता है।
- संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- विभिन्न महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के निर्देशों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था प्रति वर्ष आयुक्तालय/राजकीय महाविद्यालय/विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएं भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
- संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format- II) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस काल के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल 'Know Your College' पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।
- उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहृतित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाओं एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है -

- प्रिंसिपल सहायक, सा. उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा।
- कुल सचिव, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर।
- सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
- सचिवकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक (निजी संस्था)
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर